



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2014/श्रावण 20, 1936

No. 417]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2014/SHRAVANA 20, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 577(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बॉयलर परिचर नियम, 2011 को और संशोधन करने लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बॉयलर परिचर (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बायलर परिचर नियम, 2011 के नियम (24) में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(4) भारतीय नौसेना का कोई इंजीनियरी नौसैनिक अर्थात् किसी भारतीय नौसैनिक पोत के इंजीनियरी आफिसर और कमान आफिसर द्वारा जारी सहायक मशीनरी देखरेख पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र को रखने वाला इंजन कक्ष शिल्पी या मैकेनिक या इंजीनियरी मैकेनिक सक्षमता का द्वितीय वर्ग बॉयलर परिचर के समतुल्य प्रमाणपत्र पृष्ठांकन के लिए, जिस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में वह सेवा के लिए आवेदन करता है, आवेदन करेगा : परंतु ऐसा पृष्ठांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । ”

“(5) भारतीय नौसेना का कोई इंजीनियरी नौसैनिक अर्थात् किसी भारतीय नौसैनिक पोत के इंजीनियरी आफिसर और कमान आफिसर द्वारा जारी मशीनरी देखरेख पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र को रखने वाला इंजन कक्ष शिल्पी या मैकेनिक या इंजीनियरी मैकेनिक सक्षमता का प्रथम वर्ग बॉयलर परिचर के समतुल्य प्रमाणपत्र पृष्ठांकन के लिए, जिस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में वह सेवा के लिए आवेदन करता है, आवेदन करेगा : परंतु ऐसा पृष्ठांकन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । ”

[फा. सं. 6(11)/2009-बॉयलर्स]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2014

G.S.R. 577(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Boiler Attendants' Rules, 2011, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Boiler Attendants' Rules 2011, in rule 24, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted namely :—

“(4) An engineering sailor of Indian Navy namely, the Engine Room Artificer or Mechanician or Engineering Mechanic in possession of Auxiliary Machinery Watch Keeping Course Certificate issued by the Engineering Officer and Commanding Officer of an Indian Naval Ship shall on application have the certificate endorsed equivalent to Second Class Boiler Attendant Certificate of Competency, in the State or Union Territory in which he applies for services : Provided that such endorsement shall be made by the Chairman of the Board.

“(5) An engineering sailor of Indian Navy namely, the Engine Room Artificer or Mechanician or Engineering Mechanic in possession of Boiler Room Watch Keeping Course Certificate issued by the Engineering Officer and Commanding Officer of an Indian Naval Ship shall on application have the certificate endorsed equivalent to the First Class Boiler Attendant Certificate of Competency, in the State or Union Territory in which he applies for services : Provided that such endorsement shall be made by the Chairman of the Board.”

[F. No.6(11)/2009- Boilers]

SHAIENDRA SINGH, Jt. Secy.